

11/11/12

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश
मध्य प्रदेश निर्वाचन सदन,

17, अरेरा हिल्स, भोपाल

दूरभाष- 2550488, 255044 फैक्स- 0755- 2555162,

E-Mail : ceomp@mp.nic.in , Website: www.ceomadhyapradesh.nic.in

फा. क्र. 24/2007/3/3598

भोपाल, दिनांक 11-3-2012

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
खरगौन (मध्यप्रदेश)

विषय: 183-महेश्वर (अजा) विधान सभा क्षेत्र के उप चुनाव, 2012- निर्वाचक नामावली, निर्वाचकों के अंग्रेजी वर्णक्रम (alphabet) के अनुसार तैयार कर हिन्दी में प्रिंट कराने के संबंध में ।

भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 23/LOCATOR/2007-ERS दिनांक 05.11.07 (प्रति संलग्न) द्वारा निर्वाचन में प्रयुक्त नामावली को मतदान केन्द्रवार अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार सुव्यवस्थित कर हिन्दी फार्मेट में तैयार किए जाने के निर्देश दिए हैं । आयोग के निर्देशानुसार उप चुनाव, 2012 के लिए जारी कार्यक्रम अनुसार 183-महेश्वर (अ.जा.) विधान सभा क्षेत्र में अंतिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावली, 2012 में मतदाताओं को उनके नाम के क्रम को पहचानने में सुविधा की दृष्टि से उक्त विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए अतिरिक्त प्रतियों का उपयोग किया जावेगा ।

183-महेश्वर (अ.जा.) विधान सभा क्षेत्र के लिए वर्ष 2012 की अंतिम प्रकाशित निर्वाचक नामावली को अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार व्यवस्थित कर हिन्दी में निर्धारित फार्मेट अनुसार प्रिंट कराकर अतिरिक्त प्रति राज्य स्तरीय संस्था द्वारा तैयार कर पी.डी.एफ.सी.डी के रूप में आपको शीघ्र उपलब्ध कराई जावेगी ।

कृपया इस अल्फाबेटिकल लिस्ट का उपयोग कर ऐसे भवन जहां तीन या तीन से अधिक मतदान केन्द्र स्थापित हैं, के लिए मतदाता सहायक अधिकारी Voter Locating Assistance Booth को नियुक्त कर उपलब्ध कराकर आयोग के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना है ।

मतदान के समय उपरोक्त वर्णक्रम सूची निर्वाचकों की सहायता हेतु निम्न प्रकार से उपलब्ध कराई जावे :-

- 1 यह निर्वाचक नामावली की वर्णक्रम सूची मतदान केन्द्रवार मुद्रित होगी ।
- 2 वर्णक्रम सूची मतदान केन्द्र भवन के बाहर (जहाँ से मतदाता मतदान केन्द्र भवन में प्रवेश करता है) उपलब्ध रहेगी । यह सूची आपके द्वारा नियुक्त कर्मचारी के पास रहेगी, जो वहाँ निर्वाचकों के पूछने पर उनके मतदान केन्द्र और उसका निर्वाचक नामावली में सरल क्रमांक बताने में सहायता करेगा ।
- 3 इस हेतु नियुक्त कर्मचारी की टेबिल के साथ एक बैनर (निर्वाचक की स्थिति बताने हेतु सहायता केन्द्र) भी प्रदर्शित किया जावे ।

- 4 उक्त कर्मचारी यह भी नोट करेगा कि कितने निर्वाचक अपना सरल क्रमांक जानने की सहायता के लिए उसकी टेबिल पर उपस्थित हुए । इसकी जानकारी रिटर्निंग आफिसर सफलित कर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे ।
- 5 ऐसे भवनों जहां तीन या तीन से अधिक मतदान केन्द्र स्थापित है के लिए नियुक्त शासकीय कर्मचारियों को उक्तानुसार प्रशिक्षण भी दिया जावे । इसका दिन प्रतिदिन प्रचार प्रसार भी किया जावे । जिले की वेबसाईट पर भी डाले ताकि अधिक से अधिक मतदाता लाभान्वित हो ।

संलग्न : आयोग के पत्र की छाया प्रति

(एस.एस. बंसल) 4.5.12

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 4-5-2012

पृ.क्रमांक 24/2007/3/3599

प्रतिलिपि-

1. प्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम, मध्य प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
2. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल को आयोग के आशय को मतदाता तक पहुंचाने हेतु प्रमुख अखबारों में प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।

(एस.एस. बंसल) 4.5.12

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्यप्रदेश